83/2018

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 79/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मनोहर लाल उम्र 38 वर्ष पुत्र गोविन्दराम जाति यादव निवासी ग्राम मण्ढा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 बीरबल राम उम्र 52 वर्ष पुत्र मंगलाराम जाति यादव निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागचन्द उम्र 51 वर्ष पुत्र नारायण लाल जाति जाट निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 बीरबल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम मदनी मण्ढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 हीरालाल पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी ग्राम सामोता का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 गणेश सिंह पुत्र गोकुल सिंह।

5 रामसिंह पुत्र कल्याण सिंह।

6 सुमेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

7 महिपाल सिंह पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ग्राम रणजीतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

8 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

9 नायब तहसीलदार पलसाना उप तहसील पलसाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
विरूद्व अन्तिम डिक्री दिनांक 13.07.2018 न्यायालय
सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर दावा संख्या 53/17
बउनवानी भागचन्द बनाम सुल्तान सिंह दावा बाबत
बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 83/2018

1 मनोहर लाल उम्र 38 वर्ष पुत्र गोविन्दराम जाति यादव निवासी ग्राम मण्ढ़ा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 बीरबल राम उम्र 52 वर्ष पुत्र मंगलाराम जाति यादव निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागचन्द उम्र 51 वर्ष पुत्र नारायण लाल जाति जाट निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

2 बीरबल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम मदनी मण्ढ़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 हीरालाल पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी ग्राम सामोता का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 गणेश सिंह पुत्र गोकुल सिंह।

5 रामसिंह पुत्र कल्याण सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 सुमेर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

7 महिपाल सिंह पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ग्राम रणजीतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

8 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

9 नायब तहसीलदार पलसाना उप तहसील पलसाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2017
न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम) सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आरएएस
दावा संख्या 53/2017 बउनवानी भागचन्द बनाम
सुल्तान सिंह आदि दावा बाबत बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री श्याम सुन्दर पटेल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) सीकर द्वारा दावा संख्या 53/2017 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2017 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 13.07.2018 के विरूद्व पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलीयों में अलग–अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 1447, 1447/1524 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये बिना दावा पेश करने के दिन ही दिनांक 21.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसमें अपीलांट को सहखातेदार होते हुये भी पक्षकार ही नही बनाया गया इससे व्यथित होकर अपील संख्या 83/2018 धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अन्तिम डिक्री दिनांक 13.07.2018 को पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर अपील संख्या 79/2018 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपीलांट को सहखातेदार होते हुये भी पक्षकार बनाये बिना दावा पेश कर दिया विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई के प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्व है। जानकारी होने पर अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर दी गई है। जो स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वर वक्त बहस दोनो अपीले रिमाण्ड करने पर सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट विवादित भूमि में 30/129 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है विचारण न्यायालय में उन्हे पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित कर दी है। जो विधिक प्रक्रिया के पूर्णतया विपरित है न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वर वक्त बहस दोनों अपीले रिमाण्ड करने पर सहमती भी व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिमडिक्री के निर्णय अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं शेष प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अनुसार गुणवगुण पर पुन निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

11.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर